कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड/COCHIN SHIPYARD LIMITED

कोच्ची/Kochi - 682 015

कार्मिक एवं प्रशासन विभाग / P&A DEPARTMENT

सं.No.PERL/17(28)/2004 Pt

14 Jan 2019

सीएसएल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बाह्य रोगी परामर्श सुविधा OP Consultation Facility for Retired Employees at CSL

1. दिनांक 31 दिसंबर 2018 के समसंख्यक परिपत्र के आंशिक संशोधन में, यह सूचित किया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विशेष आवश्यकता पर उचित ध्यान देते हुए, विशेष रूप से दवाओं और चिकित्सा परामर्श के लिए बढ़ती मांग से, सक्षम प्राधिकारी कंपनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए पर्च के अनुसार सीएसएल चिकित्सा केन्द्र से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आवश्यक और उपलब्ध दवाओं को वितरित करने के लिए अनुमित दी है । इस उद्देश्य केलिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पित/पत्नी को सीएसएल चिकित्सा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमित दी जाती है और सभी कार्यदिवस 1430 बजे से 1630 बजे तक कंपनी चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर सकते हैं।

In partial modification to the Circular of even number dated 31 Dec 2018, it is informed that with due regard to the felt need of the retired employees, particularly from the point of spiralling cost for medicines and medical consultation, the Competent Authority is pleased to dispense the required and available medicines to the retired employees from the CSL Medical Centre as per the prescription by the Medical Officer of the Company. For this purpose, retired employees and their spouses are permitted entry to CSL Medical Centre and consult the Company Medical Officer on all working days from 1430 Hrs to 1630 Hrs.

2. इस विस्तारित सुविधा में, कंपनी द्वारा निर्णय लिए अनुसार, इसकी समाप्ति सिहत उचित कार्रवाई लेने केलिए, यदि स्थिति इतनी समर्थन करती हो, हर अंतराल पर समय-समय पर समीक्षा होगी।

This extended facility will undergo periodic review at every interval as may be decided by the company for appropriate action including its discontinuance, if situation so warrants.

(एम डी वर्गीस/ M D Varghese)

मुख्य महा प्रबंधक (औ.सं. एवं प्रशासन)

Chief General Manager (IR&Admn)

सेवा में/ To

All retired employees :

Through their Associations/Federation

प्रतिलिपि/ Copy to:

D(F) / D(O)/ D(T) / CVO CGMs/GMs/Co Secy/DGMs PS to C&MD / MO General Secretary CSEO/CSEF/CSEU / SES / CSSSA / CSOA Associations/Federation representing retired employees